# कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) जिला सुकमा (छ0ग0)

phone-07864284001, fax-07864-284002, Email-dmsukma.cg@gmail.com

क्रमांक / 1650 / कले. / भू–अर्जन / 2023,                    सुकमा, दिनांक 07 / 07 / 2023

प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– भू–अर्जन प्रकरण क्रंमाक–202201190300020 / अ–82 / 2021–22 ग्राम केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2 / 2 में स्थित शबरी नदी पर प्रस्तावित उच्चस्तरीय पुल निर्माण,तहसील–सुकमा में भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) की प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में।

––00––

विषयान्तर्गत भू–अर्जन प्रकरण में भू–अर्जन,पुनवार्सन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जाकर अधिसूचना की 3–3 प्रतियां संलग्न कर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित की जा रही है। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में करने का कष्ट करें।

**संलग्नः–उपरोक्तानुसार।**

कलेक्टर
जिला–सुकमा (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1650 A / कले. / भू–अर्जन / 2023                    सुकमा,दिनांक 07 / 07 / 2023

प्रतिलिपीः–

1– सचिव,छ.ग.शासन,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– सचिव,छ.ग.शासन,लोक निर्माण विभाग(सेतू निर्माण),मंत्रालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3– आयुक्त,बस्तर संभाग,जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4– अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी सुकमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5– कार्यपालन अभियंता,लोक निर्माण विभाग(सेतू निर्माण)संभाग जगदलपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। आप अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र एवं 02 स्थानीय दैनिक समाचार–पत्रों में कराकर उसकी प्रतियां इस कार्यालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी सुकमा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6– प्रभारी अधिकारी(एन.आई.सी.)सुकमा,जिला–सुकमा(छ.ग.)को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आप संलग्न अधिसूचना को जिला–सुकमा एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
जिला–सुकमा (छ.ग.)

# कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन
# राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सुकमा

## //प्रारंभिक अधिसूचना//

दिनांक 07/07/2023

क्रमांक/1649/रा.प्र.क.–202201190300020/अ–82/2021–22, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :–

//अनुसूची//

| भूमि का प्रकार | | | | | धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | ग्राम/ प.ह.नं. | खसरा नंबर | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सुकमा | सुकमा | केरलापाल/प. ह.नं.17 | 799 | 0.116 | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुकमा | ग्राम केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू–अर्जन। |
| | | | 797/2 | 0.027 | | |
| | | | 796/2 | 0.061 | | |
| | | | 792 | 0.039 | | |
| | | | 669 | 0.065 | | |
| | | | 801 | 0.028 | | |
| | | | 772 | 0.083 | | |
| | | | 771 | 0.012 | | |
| | | | 668 | 0.220 | | |
| | | | 666 | 0.029 | | |
| | | | 671 | 0.064 | | |
| | | | 673 | 0.036 | | |
| | | | 696 | 0.012 | | |
| | | | | 0.060 | | |
| | | | | 0.036 | | |
| योग– | | | 13 | 0.888 | | |

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा/आपति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निर्धारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुकमा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार,**

(हरीस. एस)
कलेक्टर. जिला सकमा